पत्रांकः–भवन/अभि0प्र0 (यो0)–02–विविध–49/2015 10477 (भ)/

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
भवन निर्माण विभाग।

दिनांकः– 26·10·16

विषयः– आकस्मिक/आपातकालीन/अति आवश्यक कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश।

महाषय,

पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–5676(s) दिनांकः–24.06.2015 में यह प्रावधान है कि आकस्मिक/आपातकालीन/अति आवश्यक कार्यों को स्थानीय प्रचार–प्रसार माध्यमों से निविदा कर ₹ 15लाख तक के कार्य संपन्न कराये जा सकते है। प्रासंगिक परिपत्र की कंडिका 2.1 में यह प्रावधान है कि कार्य की प्रकृति तथा आवश्यकता को चिन्हित करते हुए प्रशासी विभाग द्वारा अलग से निर्देश जारी किये जा सकते है।

2. भवन निर्माण विभाग द्वारा तदनुसार समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कुछ कार्य प्रमंडलों में ₹ 15.00 लाख तक के सामान्य प्रकृति के कार्यों को पथ निर्माण विभाग के इस संकल्प के अनुसार स्थानीय निविदा के माध्यम से संपन्न कराया जा रहा है,जो उचित नहीं है।

3. विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आकस्मिक/आपातकालीन/अति आवश्यक श्रेणी में मात्र वैसे ही कार्य आएंगे (i) जिन्हें जिला पदाधिकारी या अधीक्षण अभियंता द्वारा लिखित रूप से अत्यावश्यक/आपातकालीन श्रेणी के कार्य के रूप में चिन्हित किया जाय,तथा (ii) उनके द्वारा लिखित रूप से आपको कार्य कराने का निर्देष दिया जाय।

4. आकस्मिक/आपातकालीन/अति आवश्यक कार्य सामान्यतः विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन/महत्वपूर्ण आयोजनों के अवसर पर सुरक्षात्मक/नागरिक सुविधा संधारण संबंधी कार्य, आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य आदि ही हो सकते हैं। सरकारी भवनों की सामान्य अनुरक्षण/मरम्मति कार्य साधारणतः में आकस्मिक/आपातकालीन/अति आवश्यक कार्य नहीं माने जायेंगे।

Scanned by CamScanner

5. इसका तात्पर्य यह हुआ कि अन्य सभी कार्यों में स्थानीय निविदा नहीं कर विधिवत e-procurement के माध्यम से खुली निविदा कर संवेदक का चयन किया जाएगा। इस निर्देष का अत्यधिक दृढ़ता से अनुपालन किया जाए।

संबंधित अधीक्षण अभियंता जिनके स्तर से निविदा निष्पादन किया जाता है वे इसके अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगें।

विश्वासभाजन

21.7.1

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव